फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भेरूलाल **विपक्षी : श्री बाबुलाल**

किस्म मुकदमा –188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 81/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 13.12.2021 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प बडियार में पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 व 2 अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रकरण में आराजी नम्बर 1500, 1502 वादीगण के नाम दर्ज होकर वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी सं. 1 व 2 उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादीगण ने अपने वाद में आराजी नम्बर 1500, 1502 में प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के हिस्से कब्जे की भूमि में दखलन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का निवेदन किया हैं। प्रतिवादी सं. 1 व 2 उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा उपस्थित होकर वादीगण के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया है, इससे भी वादीगण के वाद को बल मिलता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 188 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा बडियार पटवार हल्का बडियार की आराजी नम्बर 1500, 1502 किता 2 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें, वादीगण को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय खुले सुनाया गया। **(मयंक मनीष** IAS) **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Mayank Manish Date: 2022.01.03 13:16:48 IST Reason: SelfAttested	

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री भेरूलाल पिता पेमा गुर्जर निवासी खीमा खेडा तह. मावली।
2. श्रीमती मोहनीबाई पत्नी भेरूलाल गुर्जर निवासी खीमाखेडा तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री बाबुलाल पिता नाथु जाट निवासी बडियार तह. मावली।
2. श्रीमती मोवनी बेवा नाथु जाट निवासी बडियार तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 81/19 (वाद) GCMS No. – 2019/00185

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा बडियार पटवार हल्का बडियार की आराजी नम्बर 1500, 1502 किता 2 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें, वादीगण को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.03 13:16:48 IST
Reason: SelfAttested